

कार्यालय आदेश

विधायक निधि के अन्तर्गत श्री फकीर राम टन्टा जी, मा0 विधायक, विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के सापेक्ष संस्तुत एवं उल्लिखित प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त की जाती है।

1. कार्य विधायक निधि के अन्तर्गत प्रसारित मार्गनिर्देशों/मानकों के अनुसार करामा सुनिश्चित करें।
2. इस धनराशि को उपयोग किसी अन्य योजना में किये जाने पर विभाग की अनियमित होगी तथा विभाग की उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।
3. क- मा0लोकसुख के शासनादेश सं0 537/XI/07/51(01) 2007/ग्राम विकास अनुभाग/देहरादून दिनांक 23 जुलाई 2007 में दिये गये निर्देशानुसार प्रत्येक कार्य को Detail Estimate बने जिसमें Detail Drawing and Specification अंकित हो तथा उस पर सक्षम अधिकारी के स्वीकृति के हस्ताक्षर हो, और तदुपरांत कार्य उसके अनुसार शत- प्रतिशत किया जाये। यदि कोई Variation(भिन्नता) हो तो सक्षम अधिकारी से Variation Statement तैयार कर Variation के कारण का औचित्य देते हुए Variation की स्वीकृत ली जाय। अंकित बिल के भुगतान से पहले Variation Statement की स्वीकृति एवं गुणवत्ता परीक्षण हेतु गठित टीम द्वारा गुणवत्ता की जाय हो, तदुपरांत भुगतान किया जाय।
4. ख- निर्माण कार्य हेतु टोली नायक उसी व्यक्ति को बनाया जाय, जिसे इस संबंध में पर्याप्त अनुभव हो, साथ ही निर्माण कार्यों का समय-समय पर तकनीकी पर्यवेक्षण अवर अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ता द्वारा किया जाय।
5. ग- सभी निर्माण कार्यों की ड्राईंग स्वीकृत होनी चाहिए तथा मा0 विधायक से भी उक्त ड्राईंग पर सहमति ली जानी चाहिए एवं उक्त स्वीकृत ड्राईंग के अनुसार ही कार्य पूर्ण होने चाहिए साथ ही निर्माण सम्बन्धी मानक निर्धारित कर उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
6. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि इस पत्र द्वारा स्वीकृत कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/विभाग द्वारा यह कार्य नहीं कराया गया है/ कराया जा रहा है। यदि कार्य पूर्व से किया गया है अथवा किया जा रहा है तो धनराशि वापस प्रेषित की जाय तथा योजना यदि व्यक्तिगत लाभार्थी के लाभ हेतु प्रतीत होती है तो निर्माण कार्य सम्पादित न किया जाय।
7. इस बात पर बल नहीं दिया जाना चाहिये कि चयन किये गये निर्माण कार्य के लिए अनिवार्यतः सरकारी भूमि ही हो, यह नगर पालिका/पंचायती संस्थाओं, निजी न्यासों, व्यक्तियों द्वारा अर्जित की गई है उसका उस भूमि को अर्जित करने का स्वामित्वधिकार होना चाहिए। जिला प्राधिकारियों को पक्का सुनिश्चित करना होगा कि स्थानीय भूमि का अर्जित नियमों के अन्तर्गत हो जिस अर्जित/स्थानान्तरित भूमि का अर्जित किया गया हो अनापत्ति प्रमाणपत्र के अनुसार भूमि अर्जित जैसी स्थानीय रूप से मान्यता प्राप्त पद्धति का तब तक पर्याप्त समझा है जब तक अर्जित कानूनी वैधता प्राप्त करे, साथ ही इस भूमि पर निर्मित परिसम्पत्ति उस सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध होगी जिसके लिए निर्माण कार्य किया गया है।
8. इस योजना के अन्तर्गत आने वाले किसी भी कार्य के लिए आपूर्तिकर्ता को किसी प्रकार का अग्रिम देना निषिद्ध है यह भी प्रयास हो कि इस निधि से प्रस्तावित कार्य उसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण हो जाय।
9. स्वीकृत धनराशि से जो निर्माण कार्य किया जायेगा उसकी अवमुक्त धनराशि से व्यय की व्यवस्था निम्न प्रकार होगी (प्रथम त्रैमासिक में 35 प्रतिशत, द्वितीय त्रैमासिक में 15 प्रतिशत तृतीय त्रैमासिक में 25 प्रतिशत, चतुर्थ त्रैमासिक 15 प्रतिशत)
10. स्वीकृत कार्य का बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा जिसमें मा0 विधायक का नाम, योजना की लागत, योजना का नाम, कार्य प्रारम्भ होने की तिथि, कार्य पूर्ण होने की तिथि स्वीकृति का वर्ष अवश्य अंकित किया।
11. योजना को पूर्ण करते हुए सम्बन्धित कार्यदायी संस्था/विभाग/ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित करेगी जिसका उल्लेख कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र में किया जायेगा। इस निधि से कराये जा रहे कार्यों के विवरण (वित्तीय एवं भौतिक प्रगति) की सूचना प्रतिमाह 20 तारीख से पूर्व नियमित रूप से जिला विकास अधिकारी, पिथौरागढ़ को निर्धारित प्रारूप में प्रेषित किया जाय।
12. प्रमुख सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्रसंख्या 2023/XI/17/56(21) (2007)दिनांक 5.12.2017द्वारा निर्गत विधायक निधि के संशोधित मार्ग निर्देशिका के विन्दु संख्या-22 के अनुसार जहां तक शहरी क्षेत्रों का सम्बन्ध है, विधायक निधि के कार्यों के लिए निजी ठेकेदारों को लगाया जा सकता है लेकिन इस हेतु निजी ठेकेदारों के चरित्र/सत्यनिष्ठा आदि के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा लिखित अनुमोदन दिये जाने पर मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय में पंजीकृत किया जायेगा।
13. इस योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ किये जाने वाले निर्माण कार्यों के रख-रखाव और अनुश्रवण की व्यवस्था सम्बन्धित स्थानीय निकाय अथवा सम्बद्ध अभिकरण द्वारा किया जायेगा।
14. सामग्री के क्रय के लिये वित्तीय नियमों तथा स्टोर पर्चेज रूल्स एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 में निहित प्राविधानों के अनुसार किया जाय।
15. इस योजनान्तर्गत चयनित कार्य एवं स्थान को मा0 विधायक जी सहमति के बिना एवं मुख्य विकास अधिकारी की स्वीकृति के बिना परिवर्तित नहीं किया जायेगा।
16. निम्न निर्माण कार्य सीन महिने के अन्दर पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाय।
17. विधायक निधि योजना के अन्तर्गत किये गये सभी कार्यों पर वित्तीय नियमों बजट मैनुअल और लेखा परिक्षण सम्बन्धी प्रक्रियाएँ मार्गदर्शी सिद्धान्तों एवं शासन द्वारा जारी तदविषयक शासनादेशों को पालन किया जाय।
18. इस निधि के अधीन बिना निविदा आमंत्रित किये अर्थात् विभागीय पद्धति(मस्ट्रोल) कार्यदेश के आधार पर कराये जाने वाले निर्माण कार्य की सीमा रु0 5.00 लाख (रु0 पांच लाख मात्र) रहेगी।
19. विधायक निधि से व्यय की जाने वाली धनराशि का ऑडिट उसी वर्ष के दो माह (अप्रैल, मई) के अन्दर किया जायेगा।
20. विधायक निधि के अधीन किसी योजना विशेष हेतु स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष कम व्यय होने पर अवशेष धनराशि पुनः वापस की जायेगी। योजना में स्वीकृत धनराशि से अधिक की धनराशि का भुगतान इस स्तर से नहीं किया जायेगा।
21. इस निधि के अन्तर्गत कार्य की लागत से कम व्यय होने पर बचत की धनराशि किसी औचित्यपूर्ण कारण से अप्रयुक्त धनराशि तब व्याज की धनराशि को प्रत्येक दश में राजकोष में जमा किया जाना होगा।
22. निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन अभिकरणों के वरिष्ठ अधिकारियों की भी यह जिम्मेदारी होगी कि वे नियमित रूप से इन निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करे तथा यह सुनिश्चित करे कि निर्माण कार्यों में निर्धारित प्रक्रिया एवं विशिष्टियों के अनुसार संतोषजनक प्रगति हो रही है।
23. विधायक निधि से कराये जाने वाले कार्यों की अनुश्रवण व्यवस्था हेतु MIS एवं Geotagging की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाये।

- 24 योजनान्तर्गत किये गये समस्त कार्यों का सामाजिक समीक्षण (Social Audit) कराया जाना अनिवार्य होगा।
- 25 मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों की कार्यकारिणी को इस प्रतिबन्ध के साथ कि कार्य का आगमन तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र किसी सक्षम स्तर के अधिकारी जो अधिशासी अभियन्ता से निम्न स्तर का न हो, को द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।
- 26 व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुरितता के नियमों एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति/प्रोक्योरमेंट कन्स 2006 एवं 2017 तथा अन्य तद्विषयक नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- 27 शासन स्तर से समग्र-समग्र पर दिये गये निर्देशों के काम में जी0एस0टी0/टी0डी0एस0 करों की कटौती नियमानुसार सुनिश्चित की जाय।
- 28 सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत गैर सरकारी संस्थाओं जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में राज्य सरकार से बड़ी मात्रा में वित्तपोषित हैं कि लोक सूचना अधिकारी नाभित किया गया है तथा सम्भव अपने स्तर से ही सूचना उपलब्ध करा सकें।
- 29 कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व की मध्य एवं योजना पूर्ण होने पर तीनों स्तरों की फोटोग्राफ्स लिया जाय।
- 30 कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माणधीन योजना वन भूमि न हो एवं स्वामित्व विवाद न हो।
- 31 यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि संबंधित योजना जल जीवन मिशन या अन्य विभाग द्वारा निर्मित न की जा रही हो।
- 32 विभागीय निधि अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों में किसी भी प्रकार का कथ हेतु अधिप्राप्ति नियमावली 2017 का पूर्ण पालन करना सुनिश्चित किया जाएगा तथा सोलर लाईट कथ में गुणवत्ता/रख-रखाव इत्यादि उम्मेद विभागानुसार किया जाएगा। उक्त योजनाओं में शासन द्वारा (CAG/AG) Audit कराने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।
- संलग्न- योजना का विवरण।

कार्यदायी संस्था खण्ड विकास अधिकारी गंगोलीहाट को धनराशि अवमुक्त						
क्र0स0	प्रस्तावित कार्य का नाम	मात्राकृत योजना	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत धनराशि लाख रु0 में	प्रशासनिक स्वीकृत धनराशि लाख रु0 में	प्रथम किस्त अवमुक्त लाख रु0 में
1	2	3	4	5	6	7
1	ग्राम पंचायत सारतोला सार्वजनिक मेला स्थल विकास कार्य	सामान्य	2024-25	1.50	1.50	1.125
2	ग्राम पंचायत पारादेव सार्वजनिक मेला स्थल विकास कार्य	सामान्य	2024-25	1.00	1.00	0.750
3	ग्राम पंचायत नायल सार्वजनिक स्थल में टिन शैड निर्माण कार्य	सामान्य	2024-25	2.00	2.00	1.500
4	ग्राम पंचायत रुमडी के लोक कोली में सी0सी0/खण्डजा निर्माण कार्य	सामान्य	2024-25	1.00	1.00	0.750
5	ग्राम पंचायत टुपरोली के लोक नैकाणा में कालसन मेला स्थल विकास कार्य	अ0जा0	2024-25	1.00	1.00	0.750
6	ग्राम पंचायत धारी धुमलकोट के लोक गोहताडी में मेला स्थल विकास कार्य	सामान्य	2024-25	1.00	1.00	0.750
7	ग्राम पंचायत नायल के हल्लीनायल में सार्वजनिक स्थल में लोहारबाड़ा निर्माण कार्य	अ0जा0	2024-25	1.00	1.00	0.750
8	ग्राम पंचायत धपना में कालसिन मेला स्थल विकास कार्य	सामान्य	2024-25	1.00	1.00	0.750
9	ग्राम बसेडा में सार्वजनिक धर्मशाला निर्माण कार्य	अ0जा0	2024-25	1.20	1.20	0.900
10	ग्राम पंचायत कुनूला में सार्वजनिक स्थल में मेला स्थल का अवशेष कार्य	अ0जा0	2024-25	1.00	1.00	0.750
11	ग्राम पंचायत सिमाली लोक भिडकाना में पेयजल मरम्मत कार्य	सामान्य	2024-25	0.50	0.50	0.375
12	ग्राम पंचायत बनकोट में सार्वजनिक मेला स्थल व पेयजल मरम्मत कार्य	सामान्य	2024-25	2.00	2.00	1.500
13	ग्राम शम्पुर में पेयजल टैंक मरम्मत कार्य	सामान्य	2024-25	0.30	0.30	0.225
14	ग्राम भनोलीसेरा में सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य	सामान्य	2024-25	0.25	0.25	0.1875
15	गण्डाई में नौला का नवनिर्माण कार्य	सामान्य	2024-25	1.00	1.00	0.750
16	ग्राम पंचायत भट्टीगांव में धर्मशाला का अवशेष कार्य	सामान्य	2024-25	1.00	1.00	0.750

17	ग्राम पंचायत बटनेरी में सप्लायर तक पेयजल अवरोध मरम्मत कार्य	अ0जा0	2024-25	1.00	1.00	0.750
18	ज्योतियाखेत के गंधेरे में पुलिसा निर्माण कार्य	सामान्य	2024-25	1.50	1.50	1.125
19	ग्राम पंचायत जमताला के लीक तालशिमोली में सार्वजनिक स्वस्थ सौन्दर्यीकरण कार्य	सामान्य	2024-25	1.00	1.00	0.750
20	गण्गाई में कुपोला में नीला का मरम्मत कार्य	अ0जा0	2024-25	0.75	0.75	0.563
योग				21.00	21.00	15.75

ह0/-
मुख्य विकास अधिकारी
पिथौरागढ़।

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी पिथौरागढ़
पत्रांक 2051 /33-विधायक निधि/2024-25,

दिनांक 07-12-2024 ।

प्रतिलिपि:-

- खण्ड विकास अधिकारी गंगोलीहाट को संलग्न कार्य के क्रियान्वयन हेतु कोषागार से वर्तमान में उक्त बैंक/बिल से प्रेषित धनराशि आपके खाते में हस्तान्तरित की जा रही है। कृपया धनराशि प्राप्ति का खाते से मिलान करना सुनिश्चित करें। अवमुक्त की गयी धनराशि रु0 15,75,000/- (पन्द्रह लाख पचहत्तर हजार मात्र) से संलग्न कार्य का निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ किया जाना है कि उक्त धनराशि का व्यय विधायक निधि के मानको एवं उक्त प्रतिबन्धों के अनुसार किया जा सकता है। धनराशि की प्राप्ति रसीद अट्रोहस्ताक्षरी को प्रेषित करें। योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह की 20 ता0 तक अट्रोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना होगा एवं उपभोग के उपरान्त प्रमाण-पत्र मय फोटोग्राफस अट्रोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना होगा।
- मुख्य विकास अधिकारी, पिथौरागढ़ के अवलोकनार्थ प्रस्तुत।
- श्री फकीर राम टम्टा जी, मा0 विधायक, वि0स0 क्षेत्र गंगोलीहाट के अवलोकनार्थ।


जिला विकास अधिकारी
पिथौरागढ़।